(391)

गया नगर निगम, गया

पत्रांक 1214/ग्र

प्रेषक,

नगर आयुक्त
गया नगर निगम, गया।

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

गया, दिनांक 09 वीं अगस्त, 2014

विषयः अंकेक्षण संख्या 356/2013–14 अंकेक्षण वर्ष 2012–13 के आपत्तियों के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार कार्यालय का पत्रांक एल0ए0/ एस0एस0–1 / श0स्था0नि0/14410/1586 के द्वारा गया नगर निगम का वर्ष 2012–13 के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 356/2013–14 के आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि प्रतिवेदन के आलोक में अंकेक्षण संख्या 356/2013–14 के आपत्तियों के कंडिकाओं को निरस्त करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन

9/8/14

नगर आयुक्त
गया नगर निगम, गया

30/10
116
12/8/14

गया नगर निगम, गया

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 356/2013-14 का अंकेक्षण आपतियों का निराकरण :-

अंकेक्षण वर्ष 2012-13

क्र0	अंकेक्षण आपति संख्या	आपत्ति का विवरण	कार्यालय का निराकरण संबंधित प्रतिवेदन	अभियुक्ति
भाग 01				
01	01	प्रस्तावना	No Comment	
02	02	प्रशासन	No Comment	
03	03	लेखा परीक्षा का परिसीमा	Noted	
04	04	पूर्ववती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	Noted	
05	05	वित्तीय अधिदृश्य	Noted	
06	06	बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय-व्यय में भारी अंतर	Noted	
07	07	सरकारी अनुदान	Noted 12वीं वित अयोग से 1,00,00,00.00 (एक करोड़) रूपये की राशि निगम को प्राप्त ही नही हुआ है तो इसे रोकड़बही एवं अनुदान पंजी में प्रविष्टि का प्रश्न ही नही है। अवरूद्ध पड़ी हुई राशि का क्रियान्वयन हेतु निगम बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति के पास रखा जायेगा।	
	07 क.	निधि का अवरोधन	Noted 12वीं वित अयोग से 1,00,00,00.00 (एक करोड़) रूपये की राशि निगम को प्राप्त ही नही हुआ है तो इसे रोकड़बही एवं अनुदान पंजी में प्रविष्टि का प्रश्न	

			ही नही हैं। अवरूद्ध पड़ी हुई राशि का क्रियान्वयन हेतु निगम बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति के पास रखा जायेगा।	
08	08	लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	Noted	
			भाग - 02	
1	1	लेखा परीक्षा के दौरान जमा (1.10) लाख	Noted	
	1 क.	रोकड़पाल के पास बकाया असयोजित अग्रिम	Noted	
	1 ख.	टिन टिकट की राशि जमा नही	क. संजय कुमार के द्वारा एम0आर0 सं0 1170 दिनांक 29.05.13 के द्वारा 1000.00 रू0 जमा कर दि गई है। ख. सुरेश कुमार के द्वारा एम0आर0 सं0 25766 रू0 दिनांक 08.08.14 के द्वारा 1500.00 रू0 जमा कर दि गई हैं। ग. विरेन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा एम0आर0 सं0 25765 रू0 दिनांक 08.08.14 के द्वारा 1000.00 रू0 जमा कर दि गई है।	
	1 ग.	कम जमा/ नहीं जमा	Noted	
	1 घ.	मकान कर का कम निर्धारण करना	Noted	
02	02	बकाया मकान कर	बकाया मकान कर वसूली हेतु ठोस एवं कारगार कदम उठाया जा रहा हैं। बकाया राशि वसूली भी हो रही हैं।	
03	03	सरकारी भवनों पर बकाया मकान	सरकारी भवनों का बकाया भवन कर की वसूली हेतु	

		कर	नोटिस निर्गत किया गया है एवं वसूली हेतु प्रयास किया जा रहा है।	
04	04	बकाया दुकान किराया	बकाया दुकान किराया वूसली हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है। बकाया राशि की वसूली भी हो रही है।	
05	05	दुकानों का निर्माण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	वर्णित दुकान निर्माण हेतु निगम बोर्ड की बैठक में रख कर निर्माण का कार्य कराया जायेगा।	
06	06	मोबाइल टावरों की बकाया पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क	मोबाइल टावर बकाया राशि हेतु संबंधित कम्पनी को नोटिस निर्गत किया गया है। राशि की भी वसूली हो रही है।	
07	07	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी खाते में जमा नही	इस संबंध में कहना है कि गया नगर निगम के द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित कार्यो का निपटारा के द्वारा किया जाता है। सरकार के द्वारा इस मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। गया नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नही रहने के कारण सरकार के कोष में वर्णित राशि जमा नहीं हो पाया है। निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर राशि हस्ताणतरण कर दी जायेगी।	
08	08 क.	मदवार प्राक्कलित राशि से अधिक व्यय :- 52/2012-13	योजना सं0 52/2012-13 बी0आर0जी0एफ0 में वर्णित योजना का प्राक्कलन राशि 7,05,300.00 रू0 की मांग की थी जबकि कराये गये कार्य का मूल्यांकन 7,03,976.00 रू0 मात्र है। जो प्राक्कलित राशि के अंतर्गत है। कार्य के समय स्थल के स्वरूप में थोड़ी बहुत परिवर्तन होने के कारण कार्य मद में परिवर्तन हुआ जो स्थल के अनुसार आवश्यक था इसमें कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है।	

	08 ख.	योजना सं0 17/2012-13 (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग)	वर्णित योजना में ई0डब्लु0/ कंटिग एवं ब्रीक फलैक सोलिंग के मात्रा में वृद्धि हुई हैं। इस संबंध में कहना है कि प्राक्कलन में कुल 400'0'' लम्बाई में नाला एवं पथ निर्माण किया जाना था। जिसमें पथ की औसत चौड़ाई 12'6'' आकलित की गई थी। परन्तु स्थल पर कार्य कराने के दौरान कतिपय स्थानों पर 13'6'' इंच की चौड़ाई में मिटटी की कटाई करनी पड़ी है ताकि पूरे चौड़ाई मे पथ का निर्माण किया जा सके। यहां यह उल्लेखनिय है कि प्राक्कलन एवं स्थल पर निर्माण में भिन्नता होती है एवं स्थानीय नागरिकों के सुविधा को ध्यान में भी रखकर कार्य कराना पड़ता हैं अन्यथा कार्य को बाधित कर दिया जाता हैं।	
09	09 क.	प्राक्कलन से अधिक कार्य एवं भुगतान (योजना 10/2012-13)	योजना सं0 10/2012-13 (स्वनिधि) स्टेशन रोड से जी0बी0 रोड भाया गुरूद्वारा रोड एवं ए0एम0 रोड नाला का सफाई कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया हैं। प्राक्कलन में 3000'0'' लम्बाई में सफाई कार्य करना था। इस लम्बाई हेतु मद संख्या 01 की क्वांटिटि 255 एम3 होता है जो सड़क के एक तरफ की नाली का है उतनी ही लम्बाई में उसी सड़क के दुसरे तरफ का भी क्वांटिटि 255 एम3 होता है, इसी कारण कलकुलेशन में क्वांटिटि को दुगुना किया गया है जिसकी राशि मो0 1,60,045.00 रूपये होती है जो प्राक्कलन मं अंकित है और उसी राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर निविदा प्रकाशित की गयी थी तथा	

			भुगतान भी उसी राशि के अंतर्गत हुआ है। इसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं हुआ है। आईटम सं0 02 - डिस्पोसल ऑफ सिल्ट का कार्य नही करने के संबंध में स्पष्ट करना है कि संवेदक को डिस्पोसल का कार्य नही करना था क्योंकि डिस्पोसल हेतु प्राक्कलन के मद सं0 02 में दर्ज राशि 15,546.00 रूपये को घटाकर ही केवल डिसिलटिंग की राशि 1,60,045.00 अर्थात 1,60,000.00 रूपये पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही बरती गयी है।	
	9 ख.	योजना का नाम- वार्ड सं0 13 के अंतर्गत दो अदद चापाकल अधिष्ठापन का कार्य (योजना 30/2012-13)	1. अकेक्षण दल द्वारा मद सं0 04 में 100 प्रतिशत अधिक भुगातन के संबंध में लिखा गया है। ज्ञात हो कि उक्त मद से बोरिंग करने के उपरान्त फिनिशिंग कर गंदे जल को साफ जल किया जाना है। यह समय स्थल के अनुरूप घटता एवं बढता है। अभुलन बालु के क्षेत्र में ज्यादा पथरी ले क्षेत्र में कम होता है जो प्राक्कलन के अनुरूप होता है। 2. अंकेक्षण दल द्वारा 76 मीटर के स्थान पर 68.597 मीटर बोरिंग करने के संबंध में लिखा गया है। एक सामान्य सर्वेक्षण के आधार पर आकलन कर प्राक्कलन तैयार करने हेतु गहराई ली गई है। स्थल के अनुरूप भु-गर्भीय जल की उपलब्धता के आधार पर गहराई में बढोतरी अथवा घटोतरी हो सकती है। 3. स्थल पर प्लेटफार्म बना हुआ है जिससे संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा दिया गया	

			है तथा फोटो भी प्राप्त कर लिया गया है। 4. स्थल पर नाली का भी निर्माण किया गया है जिसका फोटोग्राफ संलग्न है। अतः किसी भी मद का कार्य अपूर्ण नही है जिसके कारण राशि वापस की जाय।	
	09 ग.	योजना सं0 55/2012-13	वर्णित योजना की प्राक्कलित राशि मो0 3,83,100.00 है जिसके विरूद्ध मापी पुस्त में दर्ज कार्य मूल्यांकन मो0 3,83,096.00 मात्र है, जो स्वीकृत प्राक्कलन राशि के अंतर्गत है। जहां तक आईटम के क्वालिटि में अंतर आने का मुल कारण यह था कि प्राक्कलन में 280'0'' लम्बाई नाली निर्माण का प्रावधान था जबकि स्थल पर नागरिकों के अनुरोध एवं आवश्यकता के अनुसार 468'0'' लम्बाई में नाली निर्माण किया गया है। इसी कारण बी0डब्लु0 सिमेण्ट प्लास्टर एवं कैरगेड की मात्रा बढ़ गई। अतः भुगतान स्वीकृत प्राक्कलित राशि के अंतर्गत किया गया है।	
10	10	प्राक्कलन के अनुरूप कार्यो का क्रियान्वयन नहीं (योजना 19/2012-13)	लेखा परीक्षा की टिप्पणी में प्राक्कलन में वर्णित कार्यो में थोड़ा विचलन कर कार्य सम्पन्न कराने का वर्णन किया गया है इसके संबंध में स्पष्ट कहना है कि प्राक्कलन बनाने के समय लम्बाई 3000'0'' ली गई थी जिसमें कुछ भाग में नाली कच्चा था एवं कुछ भाग पक्का था। पक्की नाली के साईज को आधार मानकर प्राक्कलन तैयार किया गया था। सफाई कार्य प्रारम्भ करने पूर्व किसी अन्य भाग से लगभग 1200'0'' लम्बाई में नाली का पक्का निर्माण कार्य	

			करा दिया गया। जिसमे सफाई की आवश्यकता नही थी। नाली के साईज में जो भी परिवर्तन हुआ है वह कच्चे भाग में साइड से मिटटी खिसकर नाली में जा रहा था इसी कारण नाली की चौड़ाई एवं गहराई पक्के नाले के साईज से अधिक ली गई है। इस तरह के कार्य में थोड़ी बहुत विचलन संभावित है। प्राक्कलन में वर्णित दूसरा मद जो सिल्ट डिसपोजल का है तो यह कार्य संवेदक को नही करना था। क्योंकि प्राक्कलन में प्रविष्ट राशि मो0 7772.00 रूपया को कुल प्राक्कलित राशि 87,800.00 मे से घटाकर मात्र 80,000.00 रूपये पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर निगम बोर्ड से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई। चूकि नगर निगम में प्रशासनिक स्वीकृति निगम बोर्ड ही प्रदान करती है। अत: इस योजना में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नही बरती गई है।	
11	11 क.	योजना सं0 10/2012-13 के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ	क. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में स्पष्ट करना है कि बी0आर0जी0एफ0 का प्राक्कलन की मूल प्रति पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर जिला चयन समिति को भेजी गई थी। द्वितीय प्रति मे भूलवस कार्यपालक अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति नहीं दी गई। अत: मुल प्रति जिस पर तकनीकि स्वीकृति प्रदान हैं। प्राप्त समिति द्वारा प्रदान की जाती हैं। ख. निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण नही होने के	

			कारण यह है कि स्थल पर अतिक्रमण था जिसे हटाने के प्रक्रिया में कार्यालय स्तर पर विलम्ब हुआ। इसमें संवेदक का दोष नही हैं। इसी कारण संवेदक को समय अवधि का विस्तार दिया गया था। ग. वर्णित योजना की प्राक्कलित राशि मो0 5,14,000.00 रूपये है एवं कराये गये कार्य का मूल्यांकन 5,13,591.00 मात्र हैं। जिसके विरूद्ध संवेदक को भुगतान किया गया हैं। चूंकि स्थल पर अतिक्रमण का मामला था। अतिक्रमण हटाने के तत्काल बाद स्थल के अनुरूप कार्य कराने के कारणा मद के क्वांटिटि में अन्तर आया। कार्य के गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा हैं। कार्य गुणवतापूर्ण हुआ हैं। इसकी जांच भी करा ली गयी हैं। जहां तक डिस्पोसल अर्थ पर आपत्ति उठायी गयी है इस संबंध में स्पष्ट करना है कि प्राक्कलन को आईटम सं0 01 में ही अर्थ कटिंग के साथ ही डिस्पोसल ऑफ अर्थ का प्रावधान किया गया हैं। मापी पुस्त मे उसी मद को अलग-अलग दर्ज की गयी हैं।	
12	12	विलम्ब शुल्क की कटौति नही (योजना सं0 17/2012-13)	योजना सं0 17/2012-13 में विलम्ब शुल्क नहीं काटने के संबंध में स्पष्ट करना है कि योजना का कार्यादेश 16.08.2012 को निर्गत किया गया था। निर्गत तिथि से 02 (दो) माह का कार्यावधि निर्धारित था। योजना को दिनांक 14.10.12 को पूर्ण करा दिया गया था जो मापी पुस्त सं0 03/2012-13 में दर्ज हैं।	
भाग 03				

01	01	निलाम पत्र वाद	लम्बित वादों की निष्पादन हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है।	
02	02	सम्पति पंजी का संधारण नही	निगम के द्वारा सम्पति पंजी का संधारण करा दिया गया हैं।	
03	03	भवन कर का पुनरिक्षण नही	निगम बोर्ड की बैठक में कर पुर्नरिक्षण हेतु बैठक में प्रस्ताव रखा गया है परन्तु कि निगम बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति अभी तक नही दि गई है।	
04	04 क.	रसीदों का प्रस्तुत नहीं किया जाना	रसीद की जमा राशि की जांच की जा रहा है। अगले अंकेक्षण में इसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	
04	04 ख.	मांगी गयी रसीदों का प्रस्तुत नही किया जाना	रसीद की जमा राशि की जांच की जा रहा है। अगले अंकेक्षण में इसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	
05	05	नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते पर निगम कोष से व्यय	नगर आयुक्त अपर नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता की वेतन की मांग हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना से पत्राचार किया गया है परन्तु अभी तक विभाग से आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।	
06	06	सोडियम वैपर लैम्प, हाई मास्ट लैम्प, हाई मास्ट लाईट तथा सी0एफ0एल0 क्रय में अनियमितता	वर्णित योजना के अंतर्गत दो निविदादाता द्वारा निविदा डाली गयी जिसमें से प्रकाश इण्टरप्राइजेज को सफल निविदादाता के रूप में घोषित किया गया। नगर निगम में सक्षम पदाधिकारी नगर आयुक्त होते है एवं उनसे एक स्तर उपर सशक्त स्थायी समिति, निगम बोर्ड होता हैं। इस निविदा को भी 15.09.12 को सम्पन्न निगम बोर्ड की बैठक में स्वीकृति किया गया है इसलिये निविदा स्वीकृति में कोई अनियमितता नहीं की गयी हैं।	

			चूंकि दर आमंत्रण हेतु निविदा स्वीकृत था। दर स्वीकृति के उपरान्त संख्या में घट-बढ हो सकती है निविदा में संख्या निर्धारित नही था। निविदा मं दर प्रति इकाई मांगा गया था। पितृपक्ष मेला 2012 को ध्यान में रखते हुये 300 अदद 250 वाट का एवं 200 अदद 150 वाट को सोडियम वैपर लैम्प आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु आदेश दिया गया। पुनः पितृपक्ष मेला के बाद दुर्गा पुजा, दिपावली एवं छठ पर्व को ध्यान मं रखते हुये 500 अदद सोडियम वैपर की अतिरिक्त आवश्कता महसुस की गयी जिसके आलोक में संवेदक को उसी दर पर कार्यादेश दिया गया। उपरोक्त सभी निर्णय निगम बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त ली गयी है।	
06	06 क	सोडियम वैपर लैम्प हाई मास्ट लैम्प की क्रय	क्रय स्टोर पंजी संधारित नहीं करने का कारण यह था कि संवेदक को आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के साथ दर ग्रुप सं0 01 एवं ग्रुप 04 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि निविदा नियमानुकुल प्रकाशित किया गया था जिसमें 04 (चार) निविदादाताओं ने भाग लिया जो लेखा परीक्षा टिप्पनी में भी उल्लेखित है इसलिये इसे एकल निविदा नहीं कहा जा सकता है। निविदा प्रकाशित करने वाले पदाधिकारी से एक स्तर उपर सशक्त स्थायी समिति निगम बोर्ड होता है जिसकी स्वीकृति के उपरान्त ही निर्णय ली गयी।	
06	06 ख.	एकल निविदा द्वारा क्रय	निविदा प्रकाशन के समय 3000 अदद सी0एफ0एल0 अंकित था परन्तु दर प्रति ईकाई ली गयी थी।	

			स्वीकृत दर पर संख्या की बढ़ोतरी एकरारनामा के समय ही किया गया। इसमें कोई अनियमितता नही बरती गयी। पुनः निविदा प्रकाशन में दर कम होता है इसकी कोई गारंटी नही थी। दर की बढ़ोतरी भी हो सकती थी।	
07	07 क	रूपये 2102.00 का प्राक्कलन राशि से व्यय (योजना सं0 34/2012-13)	1. लेखा परीक्षा अभियुक्ति के क्रमांक 01 के क्रम में कहना है कि तकनीकि स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.12 को दी गयी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जिला कार्यक्रम कार्योन्वयन समिति द्वारा प्राप्त है जिसे निगम बोर्ड से भी स्वीकृत किया गया है। 2. क्रमांक 09 पर दो अदद चापाकल का एक मुस्त प्राक्कलित राशि मो0 1,04,000.00 रूपये का प्रावधान किया गया है जिसका विस्तृत विवरणी संलग्न नहीं किया गया है परन्तु माप पुस्त के स्थान पर कराये गये कार्य के अनुसार मदवार वास्तविक मापी दर्ज कर भुगतान किया गया है जो मो0 1,05,448.00 रूपये है। जिसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी है जो 10 प्रतिशत के अंतर्गत है जो कार्यपालक अभियंता के अधिकार के अंतर्गत है।	
08	08	सामग्री का क्रय	निगम के द्वारा अंकेक्षण दल को क्रमांक 01 से 08 के अभिलेख पंजी संचिका उपलब्ध करवाया गया था परन्तु समय अभाव के कारण जिसे देखा नहीं गया। सक्षम पदाधिकारी के आदेश के आलोक में ही सामग्री की क्रय की जाती है। तदोंपरान्त नगर आयुक्त के द्वारा सामग्री उपलब्ध होने पर भुगतान हेतु चेक निर्गत	

			की जाती है। अगले अंकेक्षण में संबंधित संचिका का अवलोकन हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	
09	09	विलोपित	Noted	
10	10 क.	लेखा संधारण	अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण दल को दिखाया गया था परन्तु उनके द्वारा समायाभाव के कारण नही देखा गया। अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	
10	10 ख.	वार्षिक लेखा	क्र0 01 से 05 तक की त्रुटियां का निराकरण कर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किया गया परन्तु समायाभाव के कारण नही देखा गया। अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	
11	11	दैनिक मजदूरी पर अनियमित व्यय (1,31,16,730.00 रूपया)	नगर निगम में वर्ष 1970 में सफाई मजदूरों का स्वीकृत बल 786 है जिसमें लगभग वर्तमान में 250 सफाई मजदूर ही कार्यरत है जबकि जनसंख्या 5 गुणा हो चुका है तथा भवनों की संख्या भी दस गुणी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों से शहर का दैनिक सफाई कराया जाना संभव नही है। शहर का दैनिक सफाई, पितृपक्ष मेला एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर विशेष सफाई कार्य के लिये दैनिक मजदूरों को रखकर सफाई कार्य कराया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो पूरे शहर मे जल जमाव रोड में गंदगी का अम्बार हो जायेगा। अत: जनहित में नागरिकों को सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये दैनिक मजदूरों को जिन्हे रखा गया है जो अतिआवश्यक है। सरकार द्वारा नई नियुक्ति पर रोक लगाये जाने के कारण निगम बोर्ड की स्वीकृति	

			के उपरान्त ही दैनिक मजदूर को रखा गया हैं। अतः उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये अंकेक्षण आपत्ति को निरस्त करने की कृप की जाय।	
12	12	अग्रिम	अग्रिम पंजी का संधारण कर लिया गया हैं। प्राप्त अग्रिम का समायोजन एवं उनके सेवान्त लाभ की राशि से काटौति की गई हैं। कुछ अग्रिम के विरूद्ध समायोजन हेतु नोटिस निर्गत किया गया हैं।	
13	13	लेखा परीक्षा परिणाम	Noted	
14	14	कार्यपालक से वार्ता	Noted	
15	15	सामान्य अभियुक्ति	Noted	नोट- अंकेक्षण आपत्ति भाग-01 के क्र0 01 से 08 एवं भाग-02 के क्र0 01 से 12 एवं भाग-03 के क्रमांक 01 से 15 तक के अंकेक्षण आपत्ति को निरस्त करने की कृपा की जाय।

9-8-14

लेखा पदाधिकारी
गया नगर निगम, गया।

नगर आयुक्त,
गया नगर निगम, गया।